के मोरीगांव जिले के भूरागांव इलाके के 20 गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ने से तिनसुकिया जिले की स्थिति भी गंभीर हो गई है। प्रख्यात काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी घुस गया है। इसका लगभग आधा हिस्सा पानी में डूब गया है। इसके चलते हाथी, गैंडा, हिरन आदि ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं, जबकि कुछ जानवरों को वनकर्मी सुरक्षित स्थानों पर ले गए हैं। डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क की भी कमोबेश यही स्थिति है। प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिये हैं।

कांग्रेसियों ने बंगाल कांग्रेस मुख्यालय में की तोड़फोड़

कोलकाता, 27 अप्रैल (ब्यूरो एवं एजेंसी) : पश्चिम बंगाल में आगामी 30 मई को होने वाले निकाय चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस से 'अपमानजनक शर्तों' पर समझौते के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में तोड़-फोड़ की। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 56 के तृणमूल समर्थकों ने कांग्रेस पार्षद माला राय के लिए सीट छोड़े जाने पर ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित निवास पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष, टेलीविजन और कुर्सियां तोड़ डालीं। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय कांग्रेस की प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य कोलकाता नगर निगम के चुनाव के सिलसिले में बैठक कर रहे थे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि उस पार्टी कार्यकर्ताओं ने दल के कुछ नेताओं से हाथापाई भी की जिसमें मेयरादल के अध्यक्ष समेत कई लोग घायल हो गए। भट्टाचार्य ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। उन्हें शक है कि तोड़फोड़ करने वाले लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे।

छूट से खुला लूट का रास्ता

रमेश शुक्ला 'सफर'

अमृतसर, 27 अप्रैल : एक साल पहले तक अटारी से सड़क व रेल मार्ग के जरिए पाकिस्तान को भेजी जाने वाली इलायची व लाल मिर्च अब एलओसी के रास्ते पाकिस्तान अवैध तौर पर भेजी जा रही है। जम्मू-कश्मीर में पुंछ व चकोटी में एलओसी को केवल स्थानीय उत्पादों के घरेलू व्यापार के लिए खोला गया था, लेकिन इस रास्ते अब इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की सूची में शामिल सामान भी भेजे जा रहे हैं। इस व्यापार पर किसी भी प्रकार के टैक्स में शत प्रतिशत छूट दी गई थी, पर यही छूट अब लूट का जरिया बनती जा रही है। हर रोज जहां लाखों रुपये की कस्टम ड्यूटी का चूना लग रहा है, वहीं इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के धंधे से जुड़े व्यापारियों का कारोबार भी मंदा पड़ गया है।

अमृतसर एक्सपोर्टर चेंबर आफ कामर्स ने इस बाबत जहां वित्त व गृहमंत्रालय को चिट्ठी लिख कर इस व्यापार पर रोक लगाने की मांग की है, वहीं प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को भी पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है। चेंबर के महासचिव राजेश सेतिया बताते हैं कि अमृतसर से एक माह में 100 टन के करीब मोटी इलायची व 50 टन के करीब छोटी इलायची पाकिस्तान जाया करती थी। लाल मिर्च एक महीने में 20 से 25 टन पाकिस्तान भेजी जाती थी। लेकिन जब से जम्मू-कश्मीर के रास्ते मोटी इलायची, छोटी इलायची व लाल मिर्च की अवैध कारोबार शुरू हुआ है, यह व्यापार अमृतसर-वाया-अटारी बार्डर व अटारी रेल मार्ग से बंद हो गया है। चूंकि मोटी इलायची प्रति किलो

• जम्मू-कश्मीर में एलओसी के रास्ते अवैध ढंग से पाकिस्तान भेजी जा रही है इलायची व लाल मिर्च

कस्टम ड्यूटी 75 रुपये किलो, छोटी इलायची पर कस्टम ड्यूटी 125 रुपये किलो व लाल मिर्च पर कस्टम ड्यूटी 17 रुपये किलो के आसपास है, ऐसे में कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए सारा बिजनेस जम्मू-कश्मीर शिफ्ट हो गया है। मोटी इलायची सिलीगुड़ी व छोटी इलायची तमिलनाडु से मंगवाई जाती थी, जबकि लाल मिर्च आंध्र प्रदेश से आती थी। अब जम्मू-कश्मीर के रास्ते इन चीजों को भेजने के लिए ही देश के कुछ व्यापारी गैर कानूनी ढंग से कश्मीर के व्यापारियों से मिलकर पाकिस्तान बिना कस्टम ड्यूटी दिए ये चीजें भेज रहे हैं। यही कारण है कि अमृतसर से पाकिस्तान के बीच इन तीनों चीजों का व्यापार बंद हो गया है।

उन्होंने बताया कि इस बाबत पहले भी वित्त मंत्रालय को लिखा गया था। एसोसिएशन के सदस्यों ने चार माह पहले वाणिज्य मंत्रालय के सेक्रेटरी राजीव खेर से दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें सारे दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन अभी तक इस अवैध व्यापार पर रोक नहीं लग पाई है। अब व्यापारियों ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उनसे इस अवैध व्यापार पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।

राजेश सेतिया ने कहा कि एलओसी के रास्ते पाकिस्तान को भेजे जानी वाली यह तीनों चीजें तस्करी की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि एलओसी के रास्ते घरेलू व्यापार में यह तीनों चीजें शामिल ही नहीं है। यहां बार्डर खोलने से पहले 24 चीजों की लिस्ट बनाई गई थी, जो कि घरेलू व्यापार के मद्देनजर तैयार की गई थी। उस लिस्ट में इन चीजों का उल्लेख नहीं है।

सांकेतिक चित्र
सहायक निदेशक (फोटो)
कूल चीफ पीआरओ आफ इंडिया,
उत्तर प्रदेश परिमण्डल लखनऊ

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विभूति खण्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के ग्राम-ईदईमैदा में मै. बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा 180 मेगावाट क्षमता के कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु उद्योग के प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराये जाने के संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14-09-06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण जारी करने से पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है। एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14-09-06 यथा संशोधित के अनुरूप होगी एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1- जिलाधिकारी, कार्यालय, बलरामपुर।
2- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बलरामपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर
5- क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 8/2/46 रिकाबगंज, फैजाबाद
6- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ

अतः समस्त सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी प्रकरण के निस्तारण के लिए तहसील कार्यालय परिसर-उतरौला, बलरामपुर में जिलाधिकारी, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक-02-06-2010 को पूर्वान्ह 12.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है, जिसमें जनता उपस्थित होकर अपनी आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है, अथवा अपने सुझाव/विचार टीका-टिप्पणी एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर उपरोक्त कार्यालय में प्रेषित कर सकते है।

सदस्य सचिव

League dons a democratic change after Modi's exit

HT Correspondent
sportsdesk@hindustantimes.com

MUMBAI: The IPL Governing Council, it seems, has suddenly become a democratic set-up with Lalit Modi's exit as chairman.

Even though it was not on the agenda when 11 of the 14 GC members met on Monday at the the BCCI headquarters, it was decided to appoint a committee consisting of all the three former skippers on the governing council to take care of matters pertaining to IPL-IV.

The team owners may welcome the appointment of Sunil Gavaskar, Ravi Shastri and MAK Pataudi, to deal with the IPL franchises ahead of the next edition. However, doubts were raised by some teams over the BCCI's ability to manage IPL.

"We've taken a decision where the committee appointed the three members," said Board President Shashank Manohar. "It will take a decision with regard to the modalities of withholding three foreign cricketers and four Indians. They were also asked to come back to the Board so that a final decision could be taken," Manohar said.

While some of the existing team-owners have stressed on the need to retain three overseas and four Indian players, while the two new teams have asked for more options. The new teams feel that if original eight are allowed to withhold more than one foreigner and two Indian cricketers, it will not be a fair election for them.

U.P. Council of Sugarcane Research
SHAHJAHANPUR-242001

UPCSR 476-77 Date 26.04.10

Tender Notice

Annual Rate Contract offer for the supply of Chemicals/Glasswares/Polywares etc. are hereby invited from the Manufacturers/Authorised dealer for the year 2010-11. Sealed offer alongwith Demand Draft of Rs. 1,000.00 (Rs. One thousand) in favour of Director, U.P. Council of Sugarcane Research, Shahjahanpur (U.P.) as Annual Rate Contract Fee (Non refundable) should reach this office on or before 20.05.2010, positively. Offer will not be consider after due date.

Director
U.P. Council of Sugarcane Research
Shahjahanpur (U.P.)

EAST COAST RAILWAY(CON)

TENDER NOTICE FOR SIGNALING WORK

Tender Notice No. S&T/CON/BB/OT/167 Dated : 21.04.2010

NAME OF WORK

Execution of OUTDOOR and INDOOR signaling works in connection with commissioning of RRI at Khurda Road station along with third line, MEMU Shed, Khurda Road-Balangir New line work in Khurda Road division of East Coast Railway.

Approx. Cost (Rs.)	EMD (Rs.)	Cost of Tender Form (Rs.)	Period of Work
351 [illegible]	3,25,770/-	10,000/-	10 (Ten) Months

Last date and time of tender submission : 11.06.2010 upto 12.00 Hrs
Date and time of tender opening : 11.06.2010 at 12.30 Hrs.

Tender Notice available at : Offices of Sr. Dy.CSTE/Con & Dy.Railway W. Bhubaneswar [illegible] & Berhampur on any working day. The tender documents will also be available in the website www.eastcoastrailway.gov.in and http://tenders.gov.in during the period from 10.05.2010 to 10.06.2010.

[illegible] www.eastcoastrailway.gov.in and http://tenders.gov.in [illegible] Sr. Chief Signal and Telecom Engineer (Con) Bhubaneswar

PR 8563/10 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A Government of India Enterprise)

Marketing Division : Procurement - P&P (Phone: 022 22606236 Fax: 022 22642352)

NOTICE INVITING TENDER

Digitally signed & sealed (encrypted) e-tenders (online bid only to be submitted at site http://eproc.hpcl.co.in) are invited under two bid system from eligible Indian Bidders for Hiring of Skilled Supervision Services at Sugauli and Lauriya. TENDER NO.: 10000017-HO-10002 (E-tender No. 6991). Tender submission due date: Upto 21.05.2010 (1500 Hours IST). Online unpriced bid opening: From 1530 Hours IST on 21.05.2010. The tender details including EMD-BID QUALIFICATION CRITERIA etc. can also be viewed at our web site: www.hindustanpetroleum.com under tender section : link "Tenders & Contracts".

Ch. Manager Procurement (P&P)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Bharat Heavy Electricals Limited
(A Govt. of India Undertaking)

Ramachandrapuram, Hyderabad-502 032 (A.P.)
Email Id: ranade@bhelhyd.co.in, Phone No. 23185081

PURCHASE CMM TENDER NOTICE

REFRENCE NUMBER : HYD/PUR/CMM/TC DT :26.04.2010

Offers are invited from reputed Manufacturers for the following works of Steam Turbine Components. Detailed Tender Documents can be downloaded from our web site www.bhel.com under "Tender Notification", with the following NIT Reference Nos.

Sl. No	Enquiry No	Date	Work Description	NIT No	Due Date
1	BHEL/HYD/MACHINING OF CASINGS AND ROTORS FOR STEAM TURBINE	24.04.2010	Machining Of Casings And Rotors For Steam Turbine	NIT_8128	28.05.2010
2	BHEL/HYD/MACHINING OF VALVE CASINGS OF STEAM TURBINE	24.04.2010	Machining Of Valve Casings Of Steam Turbine	NIT_8129	28.05.2010
3	ST/12/MN/VALVE BLOCK ASSEMBLY	24.04.2010	Supply of Valve Block Assembly for Steam Turbines	NIT_8130	28.05.2010
4	BHEL/HYD/HOURLY RATES FOR CNC MACHINES	24.04.2010	Fixing of Hourly Rates for CNC Machines	NIT_8132	28.05.2010
5	BHEL/HYD/FABRICATION COMPONENTS	27.04.2010	Supply Fabricated components of Steam Turbines	NIT_8143	01.06.2010

Offers shall be submitted for each tender separately as per the Guide Lines given in the detailed Tender Document. The Offers shall be submitted before 11:00 hrs on the due date. The tender details shall be through website and not through News Paper.

Sr.DGM/Pur/CMM

उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
विभूति खण्ड, पिकप भवन
गोमतीनगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवायी के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के ग्राम-ईटहेमा में मै. बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा 180 मेगावाट क्षमता के कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु उद्योग के प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराये जाने के संबंध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राज्य बोर्ड द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14-09-06 के अनुपालन में इस इकाई को अनापत्ति प्रमाण जारी करने से पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है। एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणी अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14-09-06 तथा संशोधित के अनुरूप क्षेत्री एवं उक्त उद्योग के प्रस्ताव से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1- जिलाधिकारी, कार्यालय, बलरामपुर
2- मुख्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बलरामपुर
3- क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ईकेम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
4- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर
5- क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 8/2/46 रिकाबगंज, फैजाबाद
6- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ

अतः समस्त सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी प्रकरण के निस्तारण के लिए, तहसील कार्यालय परिसर-उतरौला, बलरामपुर में जिलाधिकारी, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 02-06-2010 को पूर्वान्ह 12.00 बजे से लोकसुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है, जिसमें जनता उपस्थित होकर अपनी आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा अपने सुझाव/विचार टीका-टिप्पणी एवं आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर उपरोक्त कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं।

सदस्य सचिव